मैसेज बॉक्स

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश

किसान मण्डी भवन" विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

दूरभाष: 0522-2720383, 384, 137, 138, 139 फैक्स : 0522-2720056

ई-मेल : mandipar@hotmail.com वेबसाइट : www.upmandiparishad.in

पत्रांकः विप0-1/336-सामान्य लाइसेन्स/2018- 1376 दिनांकः 16/02/2018

आदेश

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा-17 एवं मण्डी नियमावली, 1965 के नियम-70 में निर्दिष्ट कृषि उत्पादों का कारोबार करने वालों को लाइसेन्स निर्गत किये जाने का प्राविधान है। मण्डी समितियों की उपविधि में लाइसेन्स निर्गत करने की प्रकिया तथा नियम व शर्तें निर्धारित हैं। मण्डी नियमावली, 1965 के नियम-70(4)(1)(ग) में प्राविधानित है कि-"लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र नियमों एवं उपविधियों द्वारा यथाविहित फीस एवं संलग्नकों सहित प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर समिति ऐसे लाइसेंस को स्वीकृत या अस्वीकृत करने के संबंध में लिखित रूप में सकारण आदेश द्वारा निर्णय लेगी और उसके संबंध में आदेश को संसूचित करेगी।" उपविधि 56 के अन्तर्गत प्राविधानित व्यवस्था में कुछ अतिरिक्त प्राविधान सम्मिलित कराया जाना आवश्यक है।

अतएव मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा 39(2) के अधीन परिषद में निहित अधिकारों, जिनका प्रत्यायोजन उक्त अधिनियम की धारा 26-ज के अधीन किया गया है, का प्रयोग करते हुए मैं जितेन्द्र प्रताप सिंह, अपर निदेशक(प्रशासन), उपविधि 56 के अन्तर्गत अतिरिक्त प्राविधान सम्मिलित करने का आदेश देता हूँ, अर्थातः-

उपविधि-56(क)

"मण्डी नियमावली, 1965 के नियम-70(4)(1)(ग) को स्पष्ट किया जाता है कि 30 दिन में सकारण आदेश न होने की स्थिति में लाइसेंस अनुमोदित समझा जायेगा।"

अतः समस्त मण्डी समितियाँ उपर्युक्त प्राविधान को संकल्प कर अंगीकार करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(जितेन्द्र प्रताप सिंह)
अपर निदेशक(प्रशासन)

पृष्ठांकनः पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपि- अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त उप निदेशक (प्रशासन/विपणन), मण्डी परिषद, उ0प्र0
3. उपनिदेशक (प्रशा0/विप0)/प्रभारी अधिकारी विप0-2 अनुभाग मण्डी परिषद मुख्यालय।
4. समस्त सचिव/सभापति, मण्डी समितियाँ, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त अधिकारी, मण्डी परिषद, मुख्यालय।
6. सिस्टम एनालिस्ट को मैसेज बॉक्स/मण्डी परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाईल हेतु।

15.02.18

अपर निदेशक(प्रशासन)